रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1977/कार्तिक 3, 1899

No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1977/KARTIKA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th October 1977

SUBJECT.—*Placement of orders against import licences issued under UK/India Maintenance Grant, 1977.*

No. 94-ITC(PN)/77—It has been provided in the conditions covered by para 7 of Appendix to the Ministry of Commerce, Public Notice No 44-ITC(PN)/77, dated the 7th July, 1977, that in the case of licences for imports issued under the UK/India Maintenance Grant, 1977, firm orders must be placed on the UK Suppliers within four months from the date of issue of the relevant import licence.

2. It has been represented by the importers that in practice it has been difficult to complete the connected formalities within the prescribed period of four months Hence, it has been decided to extend the initial ordering period All importers holding import licences issued under UK/India Maintenance Grant, 1977, are allowed to place firm orders on the suppliers in the U.K., within a period of eight months from the date of issue of import licence Para 7(a) of Appendix to Ministry of Commerce, Public Notice No. 44-ITC(PN)/77, dated the 7th July, 1977, may be deemed to have been amended accordingly As a corollary, requests for extension of time upto four months (additionally) will hereafter be admitted only once, so that the total period of validity of twelve months is not thereby exceeded.

3. It will not be necessary for the holders of *current* licences to present them to the licensing authorities concerned for suitable endorsement, in terms of para 2 above. The licences will be automatically valid for the extended initial ordering period

4. The aforesaid orders will *not* however, apply to import of capital goods under the UK Credit. The existing provisions regarding placement of orders against licences issued under UK Credit will continue to be in force in all such cases.

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1977

विषय.—यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान 1977 के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मद्दे आदेश देना ।

सं० 94-आई०टी०सी० (पी०एन०)/77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई०टी०सी० (पी०एन०)/77, दिनांक 7 जुलाई, 1977 के लिए परिशिष्ट की कंडिका 7 के अन्तर्गत शर्तों में यह व्यवस्था की गई है कि यू० के० भारत अनुरक्षण अनुदान 1977 के अन्तर्गत आयातों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में यू० के० सभरकों को पक्के आदेश अवश्य ही संबद्ध लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास के भीतर दे दिए जाने चाहिए ।

2. आयातकों द्वारा इस बात का अभिवेदन किया गया है कि व्यावहारिक दृष्टि से 4 मास की निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना कठिन है । अतः यह निश्चय किया गया है कि आदेश देने की प्रारम्भिक अवधि को बढ़ा दिया जाए । यू० के०/भारत अनुरक्षण अनुदान 1977 के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के धारक सभी आयातकों को आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 8 मास की अवधि के भीतर यू० के० सभरकों को पक्के आदेश देने की स्वीकृति दी जाती है । तदनुसार, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई० टी०सी (पी०एन०)/77 दिनांक 7 जुलाई, 1977 के लिए परिशिष्ट की कंडिका 7(क) को संशोधित किया गया समझा जाए । फलतः, 4 मास अतिरिक्त तक की समय वृद्धि के लिए आवेदन इसके बाद केवल एक बार ही स्वीकार किए जाएंगे जिससे कि इसके द्वारा 12 मास की कुल वैधता अवधि नहीं बढ़ जाती ।

3 वर्तमान लाइसेंसों के धारकों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे उन्हें उपर्युक्त कंडिका 2 के अनुसार उपयुक्त पृष्ठांकन के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें । लाइसेंस, बढ़ाई गई प्रारम्भिक आदेश अवधि के लिए स्वतः वैध होंगे ।

4. लेकिन, उपर्युक्त आदेश यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए लागू नहीं होंगे । ऐसे सभी मामलों में यू० के० क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के मद्दे आदेश देने के बारे में वर्तमान व्यवस्थाएं लागू रहेंगी ।

का० वे० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977